



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
(कानपुर)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के औषधालयों द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप के आधार पर बैंक औषधालयों एवं सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों/पात्र आश्रितों को आवास पर औषधियों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा

विषय-सूची

खंड	विवरण	पृष्ठ संख्या
खंड I	निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)	3
खंड II	निविदा और संपर्क जानकारी की अनुसूची	4
खंड III	ई-टेंडरिंग हेतु अनुदेश	6
खंड IV	पात्रता मापदंड	10
खंड V	कार्य का प्रयोजन तथा नियम और शर्तें	12
खंड VI	बोली-पूर्व बैठक का विवरण	25
अनुबंध I	निविदा का प्रपत्र	26
अनुबंध II	ई-टेंडरिंग के लिए आवेदन पत्र	28
अनुबंध III	कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा	30
अनुबंध IV	बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने का प्रारूप	31
अनुबंध V	बैंक गारंटी प्रारूप का प्रोफार्मा	32
अनुबंध VI	वार्षिक अनुबंध प्रपत्र	34
अनुबंध VII	औषधालयों की सूची	35
अनुबंध VIII	गैर-प्रकटीकरण करार का प्रारूप	36
अनुबंध IX	महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 (सेवा स्तर समझौते (एसएलए) का हिस्सा बनने के लिए)	37
अनुबंध X	वाणिज्यिक बोली की घोषणा	38
अनुबंध XI	बैंकर का दिवालियापन प्रमाण पत्र	39
अनुबंध XII	भाग II का प्रपत्र: वित्तीय बोली/मूल्य बोली कृपया ध्यान दें : केवल निविदा के भाग II में प्रस्तुत किया जाए	40

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को निविदा की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित सूचना तैयार करते समय उचित सावधानी बरती है और यह विश्वास किया है कि यह सही में है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से कोई भी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

यह सूचना पूरी तरह से व्यापक नहीं है। इच्छुक पार्टियां इस संबंध में स्वयं पूछताछ कर सकती हैं और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करना होगा कि उन्होंने ऐसा किया है और वे ई-निविदा प्रस्तुत करने में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकारों के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, संविदा के साथ आगे बढ़ने या संविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रियाओं को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी इच्छुक पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

खंड 1

निविदा आमंत्रित करने की सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) दो बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के कार्यालय, कॉलोनियों और निवास स्थान पर क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की सीधी डिलीवरी के लिए पात्र निविदाकर्ताओं से नौ महीने की अवधि अर्थात् 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक, के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा के दौरान प्रत्याशित खरीद मूल्य 4,00,00,000/- रुपये (केवल चार करोड़ रुपये) है।

2. ऑनलाइन निविदा, दिनांक 30 मई 2025 को अपराह्न 05:00 बजे, आरबीआई वेबसाइट से www.rbi.org.in और एमएसटीसी ई-पोर्टल पर <https://mstcecommerce.com/eprocn> से देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी। निविदाकर्ताओं को धारा V के तहत प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार, एमएसटीसी वेबसाइट पर आवश्यक संलग्नकों के साथ विधिवत पूर्ण आवेदन अपलोड करना होगा। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दिनांक 16 जून 2025 को अपराह्न 03:30 बजे आरबीआई, कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा।

3. इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपर्युक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी होगी और उसके सत्यापन के बाद बोली प्रस्तुत करनी होगी। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

खंड II

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

ए	ई-निविदा सं.	RBI/Kanpur Regional Office/Others/2/25-26/ET/156 (Supply of drugs and medicines)
बी	निविदा का नाम	बैंक औषधालयों को औषधियों और दवाओं की आपूर्ति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के औषधालयों द्वारा जारी क्रेडिट पर्ची के एवज में पात्र आश्रितों सहित सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों को द्वार पर डिलीवरी
सी	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली ऑनलाइन - भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से वित्तीय बोली (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/)
डी	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तारीख देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध	30 मई, 2025 को 05:00 अपराह्न
ई	बोली पूर्व बैठक की तिथि (ऑफलाइन)	04 जून, 2025 को 03:00 अपराह्न
एफ	बोली पूर्व बैठक का स्थान	सीईएस, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
जी	निविदा का अनुमानित मूल्य अर्थात् वार्षिक खरीद	₹4,00,00,000/- (वार्षिक) (केवल चार करोड़ रुपये)
एच	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (अपेक्षित वार्षिक खरीद का 2%)	प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के पक्ष में केवल एनईएफटी के माध्यम से ₹8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) जमा किया जाएगा। खाता विवरण नीचे दिया गया है:
		लाभार्थी का खाता संख्या: 186003001
		आईएफएससी: RBIS0KNPA01(बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य)
		लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर
		ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल बोलीकर्ताओं को यह राशि वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीकर्ता/बोलीकर्ताओं के मामले में, वैध निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा राशि के भुगतान और संविदा के निष्पादन के बाद ईएमडी वापस कर दिया जाएगा।

आई	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	16 जून, 2025 की अपराह्न 12:30 बजे
जे	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। कृपया लेनदेन शुल्क को भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को अंतरित न करें। एमएसटीसी द्वारा प्रभारित शुल्क केवल बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ली गई फीस किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा वापस नहीं की जाएगी।
के	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन प्रस्तुति शुरू करने की तिथि (https://www.mstcecommerce.com/eproc/)	04 जून, 2025 की शाम 04:00 बजे से
एल	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय।	16 जून 2025 को 03:00 अपराह्न
एम	भाग-I के खुलने की तिथि और समय (तकनीकी बोली)	16 जून 2025 को 03:30 अपराह्न
एन	भाग-II खोलने की तिथि (वित्तीय बोली)	16 जून 2025 को 03:30 अपराह्न

नोट:

- उपर्युक्त दिनों में से किसी भी दिन कार्य/अवकाश के किसी भी अप्रत्याशित बंदी की स्थिति में, इसे अगले कार्य दिवस पर खोला/आयोजित किया जाएगा।
- नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को खारिज कर दिया जाएगा।
- बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।
- किसी भी समस्या/विवाद के मामले में, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई कानपुर का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

संपर्क सूचना (आरबीआई): -

प्रश्नों के लिए कृपया हमसे संपर्क करें/लिखें – क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर – पिन 208002।

नाम: श्रीमती चित्रा हारोड़े	नाम – श्री अभिषेक के चौबे
पदनाम: सहायक महाप्रबंधक	पदनाम: सहायक प्रबंधक
मोबाइल - 9561206370	दूरभाष - 8299827832
पता:- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, कानपुर	
ई-मेल - medicalsection@rbi.org.in	

औषधालयों का स्थान: -

क्र सं	औषधालय का नाम	औषधालय का पता
1	कार्यालय औषधालय	पोस्ट बॉक्स नंबर 82/142, महात्मा गांधी रोड, कानपुर- 208 001
2	कॉलोनी औषधालय	किदवई नगर स्टाफ क्वार्टर, कानपुर- 208011

खंड III

ई-निविदा हेतु निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर का ई-खरीद गतिविधि है। ई-खरीद सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और बाद में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण:

बैंक द्वारा प्रकाशित ई-निविदाओं में भाग लेने के लिए, बोलीकर्ताओं को एमएसटीसी वी3 पोर्टल, www.mstcecommerce.com/eprocn पर खुद को पंजीकृत करना होगा।

बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए वेबसाइट से नवीनतम दिशानिर्देशों की जांच करते रहें। बोलीकर्ता किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एमएसटीसी, हेल्पडेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल के साथ बोलीकर्ता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, बोलीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। बोलीकर्ताओं के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोलीकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होती है। एमएसटीसी/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1. बोलीकर्ताओं को एमएसटीसी पोर्टल के साथ www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभागों → आरबीआई लोगो का चयन करना होगा → विवरण भरकर बोलीकर्ता के रूप में पंजीकरण करना होगा और स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा → जमा करना होगा।
2. बोलीकर्ताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।
3. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, (क्षेत्रीय कार्यालय का नाम) से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कानपुर
फोन नं	ईमेल
01123212357, 01123215163,	mstcnro@mstcindia.co.in
उत्तरी क्षेत्र हेल्पडेस्क	
फोन नं	ईमेल
01123217850	mstcnro@mstcindia.co.in
एचओ केंद्रीय सहायता कक्ष	

फोन नं	ईमेल
07969066600	helpdesk@mstcindia.co.in
उपलब्धता: ई-नीलामी, ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।	

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

श्री अभिषेक चौधरी, – helpdesk@mstcindia.co.in; दूरभाष- 9662042884।

संपर्क जानकारी <https://www.mstcindia.co.in/content/contact.aspx> से भी डाउनलोड की जा सकती है

बी) सिस्टम आवश्यकता:

एमएसटीसी पोर्टल चलाने के लिए न्यूनतम सिस्टम आवश्यकता:

1. विंडोज 7 या इसके बाद के संस्करण वाला ऑपरेटिंग सिस्टम
2. IE-7 और इसके बाद के संस्करण वाला इंटरनेट ब्राउज़र।
3. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
4. नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड और सिस्टम में स्थापित
5. "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए जाएं (उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम किया गया है- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक निकालें।
6. "अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें" सक्रिय करने के लिए (उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास / ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => सक्रिय करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें।
7. सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (उपकरण→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर) पर जाएं (कृपया एक बार [page www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) से IE सेटिंग्स चलाएं)

अधिक जानकारी के लिए, बोलीकर्ता, at <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर उपलब्ध बोलीकर्ता गाइड और एफएक्यू का संदर्भ ले सकता है

सी) लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट:

बोलीकर्ता, बोलीकर्ता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। बोलीकर्ताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। बोलीकर्ता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, बोलीकर्ता एक फॉर्म भरकर चालान सृजित करेगा। बोलीकर्ता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि में परिवर्तन किए बिना प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, बोली लगाने वाले के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और बोलीकर्ता को सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

एक बोलीकर्ता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य और गैर-प्रतिपूर्ति योग्य है। आपूर्तिकर्ता को बोली लगाने के समय बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एमएसटीसी पोर्टल शुल्क वहन करना होगा। किसी भी मामले में बोलीकर्ता को एमएसटीसी पोर्टल शुल्क की कोई वापसी नहीं दी जाएगी।

नोट (बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क को अच्छी तरह से प्रेषित करें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके।)

डी) अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान ही ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी के साथ बोलीकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान किया गया उनका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन हो। बोलीकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

ई) एनआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

एफ) तकनीकी बोली और वित्तीय बोली <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

जी) निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय / मूल्य प्रारूपों में दर्ज करनी होगी।

एच) ई-निविदा में बोली:

1. बोलीकर्ता को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीकर्ता(ओं) की ईएमडी निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
2. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
3. जिन बोलीकर्ता ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/ सरकारी विभाग → आरबीआई → माई मेनू → ऑक्शन फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन के तहत लॉगिन www.mstcecommerce.com कर सकते हैं।
4. बोलीकर्ता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसी को सहेजना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है, तो बोलीकर्ता अपनी तकनीकी बोली को सेव /जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
5. तकनीकी बोली भरने के बाद, बोलीकर्ता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सहेजे जाने के बाद, बोलीकर्ता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।
6. बोलीकर्ताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "अटैच डॉक बटन" का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
7. सभी मामलों में, बोलीकर्ता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
8. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीकर्ता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

9. ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
10. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसे स्वीकार करने से आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा।
11. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में, एमएसटीसी लेनदेन शुल्क या कोई अन्य शुल्क/शुल्क बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं किया जाएगा।
13. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने वाले गाइड को पढ़ें और पृष्ठ में वीडियो देखें <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के लिए।

आई) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीकर्ता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

जे) इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

के) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख बढ़ाने का अधिकार है।

एल) बोलीकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी नवीनतम परिवर्तन और दिशानिर्देशों के लिए एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से जाएं।

खंड IV

पात्रता मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा गया है) स्टॉकिस्ट / केमिस्ट / ड्रुगिस्ट (इसके बाद 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में संदर्भित) को आपूर्ति प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है।

- (अ) बोलीकर्ता के पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत लागू होने वाले अधिनियम और इस प्रयोजन के लिए लागू कोई अन्य कानून राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी एलोपैथिक औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्रों (फार्म 20, 20-बी, 21, 21-बी और 21-सी अथवा संबंधित कानून के अंतर्गत कोई अन्य संगत रूप) में आवेदन की तारीख के अनुसार वैध लाइसेंस होना चाहिए। उनके पास अन्य सभी लाइसेंस, मंजूरी और अनुमतियां होनी चाहिए जो दवाओं के व्यापार को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। बोलीकर्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे और वचन देंगे कि उनके लाइसेंस संविदा अवधि के अंत तक वैध रहें।
- (आ) बोलीकर्ता को राज्य औषधि प्राधिकारियों द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अंतर्गत कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
- (इ) बोलीकर्ता के पास पिछले तीन वर्षों के लिए न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए जैसा कि अनुबंध I में निर्दिष्ट है।
- (ई) बोलीकर्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान समान व्यवसाय व्यवस्था करनी चाहिए अर्थात् कम से कम एक ग्राहक के साथ जैसे कि सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन/किसी अन्य संगठन/निगमित क्षेत्र में कोई भी संगठन के साथ दवाओं की आपूर्ति स्थापित किया गया हो। आवेदन करते समय इस से संबंधित सहायक दस्तावेज प्रदान किया जाना चाहिए। अनुबंध III में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक ग्राहक से ग्राहक रिपोर्ट प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
- (उ) बोलीकर्ता को निम्नलिखित के लिए सहमत होना चाहिए (i) बैंक औषधालयों को दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति करना जिसे बैंक मांगपत्र में उल्लिखित करे और (ii) ब्रांड या निर्माताओं पर ध्यान दिए बिना जारी क्रेडिट स्लिप के अंतर्गत सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों/पात्र आश्रितों को डोरस्टेप डिलीवरी। दस्तावेज में कहीं और वर्णित खरीद अनुबंध के निष्पादन के बाद ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्यनिष्पादन गारंटी की स्वचालित जब्ती होगी।
- (ऊ) बोलीकर्ता को किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के संगठन, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी अन्य संगठन/कॉरपोरेट संगठन द्वारा सेवा संबंधी कमियों के कारण विवर्जित/निलंबित/ब्लैक-लिस्ट नहीं किया गया हो।
- (ऋ) बोली लगाने वाले की दुकान/प्रतिष्ठान कानपुर में स्थित होना चाहिए। यदि बोली लगाने वाले की दुकान/प्रतिष्ठान बोली लगाने के समय कानपुर में स्थित नहीं है तो बोलीकर्ता को कार्य शुरू होने से पहले (जगह) ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यदि प्रदान किया गया हो।
- (ॠ) जीएसटी निकासी प्रमाण पत्र बोलीकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए।
- (ॡ) बोलीकर्ता के पास कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली होनी चाहिए।
- (ऐ) बोलीकर्ता के पास आरबीआई द्वारा दवा खरीद के दौरान ई-निविदा में भाग लेने की क्षमता होनी चाहिए।
- (ए) बोलीकर्ता को अनुबंध V के अनुसार विगत में गैर-निष्पादन के आधार पर बैंक द्वारा संविदा समाप्त करने का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए।

- (ऐ) बोलीकर्ता के पास बैंक के साथ उचित संचार के लिए उनके प्रतिष्ठान में उचित आईटी अवसंरचना (जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, समर्पित ई-मेल आदि) होनी चाहिए।
- (ऑ) बोलीकर्ता के पास समय पर दवाओं और दवाओं की आपूर्ति करने के लिए उचित वितरण और पैकेजिंग प्रणाली/व्यवस्था होनी चाहिए।

खण्ड -V

कार्य-क्षेत्र

बोलीकर्ता एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक सभी बोलीकर्ताओं की भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली खोलेगा और इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए इसकी समीक्षा करेगा। बोलीकर्ताओं के लिए एमएसटीसी पोर्टल के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। निविदाकर्ता ई-निविदा के संबंध में निर्देशों के अनुसार अपनी ई-निविदा (भाग I और भाग II दोनों यानी तकनीकी और वित्तीय बोलियां) सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, 16 जून, 2025 को या उससे पहले, दोपहर 03:00 बजे तक जमा करेंगे। केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत निविदाएं कैप्शन प्रक्रिया के लिए स्वीकार की जाएंगी। निविदाएं, यदि उक्त तिथि और समय के बाद (किसी भी मोड में) प्राप्त होती हैं, तो बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। वित्तीय बोली प्रस्तुत करने से संबंधित ब्यौरे अनुपत्र X में दिए गए हैं।

1. कार्यक्षेत्र:

- (अ) बैंक एक या अधिक सफल बोलीदाताओं के साथ वार्षिक अनुबंध करेगा, जिन्हें आगे 'आपूर्तिकर्ता' कहा जाएगा, जो बैंक डिस्पेंसरी को आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाओं और औषधियों पर उच्चतम समान छूट और क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध और अनुबंध अवधि के दौरान डोरस्टेप डिलीवरी की पेशकश करते हैं (जिसे यहां समान छूट के रूप में उल्लेख किया गया है)। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए प्राप्त होने वाले किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (आ) बैंक एकमात्र बोलीकर्ता के साथ अनुबंध करने के लिए बाध्य नहीं है जो उच्चतम छूट की पेशकश कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस खंड में बिंदु 7 देखें।
- (इ) दवाओं की आपूर्ति दो तरीकों से की जाएगी, (i) **क्रेडिट पर्ची के अंतर्गत होम डिलीवरी के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति और (ii) मांग के अंतर्गत सीधे बैंक डिस्पेंसरियों में दवाओं की आपूर्ति। उल्लेखनीय है कि इस कार्य का बड़ा हिस्सा क्रेडिट स्लिप के आधार पर घर-घर दवाइयों की आपूर्ति करना होगा।**
- (ई) आपूर्तिकर्ता बैंक के औषधालयों द्वारा जारी क्रमशः क्रेडिट स्लिप और इंडेंट के आधार पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट स्थान अर्थात् होम डिलीवरी या डिस्पेंसरी (आरबीआई कार्यालय/कॉलोनी औषधालयों में स्थित) में सहमत छूट पर दवाओं और दवाओं की आपूर्ति करेंगे।
- (उ) (i) आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में तथा बैंक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर दवाइयों की आपूर्ति करेंगे, अर्थात् लाभार्थी को घर पर डिलीवरी या आरबीआई कार्यालय/कॉलोनी डिस्पेंसरी, या बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर।
- (ii) उपरोक्त आपूर्ति बैंक की डिस्पेंसरियों द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप और इंडेंट के आधार पर होगी।
- (ऊ) **इंडेंट के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति:** बैंक डिस्पेंसरियों में स्टॉक करने के लिए कुछ दवाओं की आपूर्ति के लिए इंडेंट जारी करेगा। मांग प्राप्त होने पर आपूर्तिकर्ता मांगपत्र की सूचना की तारीख से बैंक के 3 कार्य दिवसों के भीतर औषधालयों को सीधे दवाओं की आपूर्ति करेगा।
- (ऋ) **क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति:** क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति के चरण नीचे उल्लिखित हैं: -

- i. बैंक डिस्पेंसरी क्रेडिट स्लिप जारी करेगी जिसमें [रोगी का नाम, आयु, दवा विवरण के साथ मात्रा, संपर्क विवरण और रोगी का पिन कोड के साथ पता, बीएमसी नाम (बैंक मेडिकल कंसल्टेंट्स)] जैसे विवरण होंगे। आपूर्तिकर्ता को दैनिक आधार पर बैंक के औषधालयों से क्रेडिट पर्ची एकत्र करनी चाहिए या आपूर्तिकर्ता को दैनिक आधार पर बैंक के दो औषधालयों से ईमेल के माध्यम से क्रेडिट पर्ची प्राप्त होगी। वर्तमान में पालन की जा रही डिस्पेंसरी के कार्य घंटों का उल्लेख नीचे किया गया है:

औषधालय का स्थान	समय
बैंक औषधालय	सोम से शुक्र: दोपहर 12 बजे से शाम 05 बजे तक (बुधवार को छोड़कर)
बैंक औषधालय	बुधवार: दोपहर 01 बजे से शाम 05 बजे तक
किदवई नगर स्टाफ क्वार्टर	सोमवार से शनिवार: सुबह 07 बजे से 11 बजे तक

*यदि आवश्यक हो तो डिस्पेंसरी के समय की समीक्षा बैंक द्वारा की जा सकती है।

- ii. क्रेडिट स्लिप प्राप्त होने पर, बोलीकर्ता प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए अलग-अलग सीलबंद पैकेटों में क्रेडिट स्लिप पर उल्लिखित पते पर बैंक या कर्मचारी को डिलीवरी और पैकेजिंग की अतिरिक्त लागत के बिना दवाओं की डिलीवरी करेगा।

- iii. **डिलीवरी के समय:** डिलीवरी का समय नीचे उल्लेख किया गया है:

अ. **कानपुर नगर नगर निगम सीमाएं:** बोलीकर्ता/ओं के प्रतिनिधि द्वारा जारी और एकत्र की गई क्रेडिट पर्ची को जल्द से जल्द वितरित करने की आवश्यकता है, लेकिन एक दिन के बाद नहीं यानी टी+1 दिन, यदि डिलीवरी पता कानपुर नगर की नगरपालिका सीमा के भीतर आता है। यदि किसी दवा की तत्काल आवश्यकता होती है, तो क्रेडिट पर्ची बैंक के औषधालय द्वारा बोलीकर्ता को भेज दी जाएगी। इस तरह की क्रेडिट स्लिप यदि बोली लगाने वाले को दोपहर 2:00 बजे तक मेल कर दी जाती है और डिलीवरी का पता कानपुर नगर नगर निगम की सीमा के भीतर है, तो, ऐसी दवाओं को बोलीकर्ता द्वारा उसी दिन डिलीवरी पते यानी टी + 0 के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए, जहां टी जारी करने की तारीख या क्रेडिट पर्ची की ईमेल तिथि जो भी बाद में हो। ऐसी क्रेडिट पर्ची जो बोलीकर्ता को मेल की गई है, अन्य क्रेडिट पर्चियों के साथ प्रतिनिधि द्वारा डिस्पेंसरी से भौतिक रूप से एकत्र की जाएगी।

आ. **कानपुर नगर नगरपालिका सीमा से बाहर लेकिन कानपुर जिले के भीतर:** यदि डिलीवरी का पता कानपुर नगर नगरपालिका सीमा से बाहर है, लेकिन कानपुर जिले के भीतर आता है, तो दवाओं को जल्द से जल्द वितरित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक से दो दिन (टी + 2 दिन) के बाद नहीं, जहां टी जारी करने की तारीख या क्रेडिट पर्ची की ईमेल तिथि जो भी बाद में हो।

इ. **कानपुर जिले के बाहर:** कानपुर जिले के बाहर डिलीवरी पते के लिए, दवाओं को जल्द से जल्द वितरित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन तीन दिनों के बाद नहीं, यानी टी + 3 दिन, जहां टी जारी करने की तारीख या क्रेडिट स्लिप की ईमेल तिथि जो भी बाद में हो।

डिलीवरी के समय का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रमांक	वितरण का पता	डिलीवरी समय
1	कानपुर नगर नगरपालिका सीमा के भीतर	टी + 1 से बाद में नहीं

		* यदि क्रेडिट पर्ची 2PM तक ई-मेल की जाती है, तो T+0
2	कानपुर नगर नगरपालिका सीमा से बाहर लेकिन कानपुर जिले के भीतर	टी + 2 के बाद नहीं
3	कानपुर जिले से बाहर	टी + 3 से बाद में नहीं
* टी क्रेडिट पर्ची की जारी करने की तारीख या ईमेल तिथि है, जो भी बाद में हो।		

- iv. होम डिलीवरी के मामले में, बोलीकर्ता को डिलीवरी का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है अर्थात्, रिसीवर के हस्ताक्षर और नाम प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। बैंक आवश्यकता पड़ने पर सुपुर्दगी का प्रमाण मांग सकता है और बोलीकर्ता को सात कार्य दिवसों के भीतर बैंक को यह प्रस्तुत करना होगा।
- v. किसी भी अप्राप्त दवा के मामले में, आपूर्तिकर्ता वापस की गई दवा को टी+1 आधार पर, गैर-वितरण नोट/प्रमाण के साथ, बैंक की संबंधित डिस्पेंसरी को, जहां से क्रेडिट स्लिप जारी की गई थी, वितरित करेगा, बैंक को कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।
- vi. यदि बोलीकर्ता ओटीपी/वितरण कोड-आधारित वितरण प्रणाली प्रदान करता है, तो लाभार्थी के हस्ताक्षर के बजाय लाभार्थी से ओटीपी या डिलीवरी कोड प्राप्त किया जा सकता है। बोलीकर्ता को आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि बोली लगाने वाले द्वारा ओटीपी / वितरण कोड-आधारित डिलीवरी प्रदान की जा सकती है या नहीं। ओटीपी आधारित वितरण सुविधा वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
- vii. होम डिलीवरी के दौरान, रोगी के घर पर उपलब्ध न होने पर दवाएं परिवार के सदस्यों को भी सौंपी जा सकती हैं।
- viii. दवाओं के सफल वितरण के बाद, क्रेडिट पर्ची को मूल बिलों के साथ बैंक में जमा करना होगा। विवरण क्रम संख्या 11 बिलों के प्रस्तुतीकरण में निर्दिष्ट किया गया है। क्रेडिट स्लिप के साथ बिलों को निर्धारित प्रारूप में डाक/कूरियर या हस्त दस्ती (कार्यालय के पते) पर भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए बिल 'आरबीआई (कार्यालय का नाम) – रोगी का नाम – क्रेडिट पर्ची संख्या' प्रारूप में जेनरेट किया जाना चाहिए। (कृपया क्रम संख्या 11 - बिलों का प्रस्तुतीकरण देखें)।
- ix. बोलीकर्ता क्रेडिट स्लिप या इंडेंट में उल्लिखित दवाओं की सख्ती से आपूर्ति करेगा। दवा के ब्रांड नाम, कंपनी का नाम, मात्रा आदि में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
- x. क्रेडिट स्लिप में दवाओं की आंशिक आपूर्ति के मामले में, बोलीकर्ताओं को आपूर्ति की गई दवा की मात्रा और शेष मात्रा को विशेष रूप से क्रेडिट स्लिप में इंगित करना होगा। शेष मात्रा यहां उल्लिखित वितरण अनुसूची के अनुसार जल्द से जल्द (अधिकतम दो दिनों के भीतर) आपूर्ति की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, केमिस्ट भुगतान के लिए उस विशेष क्रेडिट पर्ची के एवज में बिल बैंक को प्रस्तुत करेगा, केवल तभी जब ऐसी क्रेडिट स्लिप में उल्लिखित सभी दवाएं केमिस्ट द्वारा वितरित की गई हों।
- xi. यदि आपूर्तिकर्ता कोई दवा उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो आपूर्तिकर्ता को तुरंत बैंक के डिस्पेंसरी को इसकी सूचना देनी चाहिए, साथ ही विकल्प/वैकल्पिक दवा के विवरण भी देने चाहिए। आपूर्तिकर्ता बैंक की स्वीकृति के बाद ही विकल्प/वैकल्पिक दवा उपलब्ध कराएगा।
- xii. **अस्थायी वितरण पता प्रदान किए जाने के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि कुल 1600 लाभार्थियों में से लगभग 85% कानपुर जिले में रहते हैं, हालांकि, विक्रेता को अनुरोध किए जाने पर देश के किसी भी हिस्से में दवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी।**
- xiii. किसी भी समय, नगरपालिका सीमा के भीतर डिलीवरी के लिए क्रेडिट स्लिप पर सभी दवा आदेशों का कम से कम 90% क्रेडिट पर्ची जारी होने के एक दिन के भीतर वितरित किया जाना चाहिए (ऊपर पैरा

IV के साथ पढ़ें)। असाधारण मामलों जैसे कुछ दवाओं की अनुपलब्धता, लॉजिस्टिक मुद्दे आदि जो बैंक के लिए सहमत हैं, डिलीवरी के लिए क्रेडिट स्लिप पर सभी ऑर्डर का अधिकतम 10% अगले दिन डिलीवरी की आवश्यकता से अधिक होने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि ऐसे सभी ऑर्डर अधिकतम तीन दिनों के भीतर वितरित किए जाने चाहिए। दवाओं की डिलीवरी में देरी, दैनिक आधार पर प्रतिनिधि के माध्यम से क्रेडिट स्लिप का संग्रह न करना भी इस धारा के पैरा 13 में उल्लिखित अन्य शर्तों के साथ सेवाओं में कमी के रूप में माना जाएगा।

- xiv. पूर्ण रूप से आपूर्ति की डिलीवरी इंडेंट और क्रेडिट स्लिप के लिए ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार की जाएगी। समय पर दवाओं की आपूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक प्रत्येक दिन के लिए प्रत्येक क्रेडिट पर्ची के लिए रु. 100/- तक या क्रेडिट पर्ची के संबंध में देरी के हिस्से की कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. मूल्य निर्धारण

- (अ) बैंक की निविदा के प्रत्युत्तर में, बोलीकर्ता को संविदा के अंतर्गत की जाने वाली आपूर्ति की सभी मदों के संबंध में प्रतिशत के अनुसार स्ट्रिप/बोतल/पैक इकाई पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर एक समान छूट का उल्लेख करना चाहिए, चाहे उनका ब्रांड या विनिर्माता कुछ भी हो। बैंक केवल लेबल वाले एमआरपी पर देय छूट का भुगतान करेगा। उद्धृत प्रस्ताव अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगा।
- (आ) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून के तहत उत्तरदायी किसी भी शुल्क, लेवी या करों का भुगतान करने की देयता बोलीकर्ता की होगी।
- (इ) बोलीकर्ता को बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर आपूर्ति के संबंध में उचित पैकेजिंग, कार्टिंग, परिवहन, डोरस्टेप डिलीवरी, डिलीवरी पार्टनर आदि से जुड़े सभी खर्चों को भी वहन करना होगा।
- (ई) बैंक द्वारा कोई अन्य भुगतान/प्रतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी

- (अ) बैंक के साथ वार्षिक संविदा करने पर, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है, बोलीकर्ता को अनुबंध में यथा विनिर्दिष्ट निविदा मूल्य के 10% के लिए क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के पक्ष में कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करनी होगी जो अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 18 माह के लिए वैध होगी। यदि बैंक कई बोलीकर्ताओं के साथ कई अनुबंध करता है, तो पीबीजी को वार्षिक अनुबंध के लिए चयनित बोलीकर्ताओं के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
- अ) पीबीजी पर देय ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। पीबीजी अनुबंध की वैधता से छह महीने तक वैध होगा। पीबीजी की राशि जब्त की जा सकती है यदि इस संविदा के अनुसरण में प्राधिकृत बोलीकर्ता द्वारा उन पर दी गई क्रेडिट पर्ची के एवज में आपूर्ति की गई दवाएं बाद में चोरी की गईं अथवा गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं। पीबीजी को निम्नलिखित शर्तों के तहत लागू किया जाएगा:

- i. काम शुरू न होने की स्थिति में
- ii. संविदा दायित्वों का निष्पादन न करने अथवा संविदा की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने की स्थिति में, निर्धारित अवधि के बाद अधिक प्रभार लेने अथवा पर्याप्त विलंब के साथ सुपुर्दगी करने।
- iii. यदि इस संविदा के अनुसरण में प्राधिकृत केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की गई दवाइयां उन पर दिए गए आपूर्ति आदेश के अनुसार बाद में चोरी, घटिया, नकली दवाइयां अथवा

स्थानापन्न दवाइयां अथवा गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं।

- iv. प्रस्तावित छूट का पालन न करना।
- v. बिलिंग में विसंगतियां।
- vi. सेवा में कोई अन्य कमी

4. बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(अ) मूल्य-बोली में भाग लेते समय बोलीदाता अनुबंध। में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्याशित वार्षिक प्रापण के 2% के बराबर राशि के लिए बयाना जमा राशि(ईएमडी) जमा करेंगे, जिसे केवल एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के बैंक खाते में विप्रेषित किया जाएगा। एनईएफटी विवरण नीचे उल्लिखित हैं: -

बयाना जमा राशि (ईएमडी)	(कुल संविदा मूल्य का 2% होने के नाते प्रत्येक बोलीदाता द्वारा जमा किया जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के पक्ष में।	
	लाभार्थी का खाता संख्या:	186003001
	आईएफएससी:	RBIS0KNPA01
	लाभार्थी का नाम:	Reserve Bank of India, Kanpur

(आ) मूल्य-बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(इ) यदि कार्य सौंपे जाने पर, बोलीदाता 7 दिनों के भीतर कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, और ऐसे बोलीदाता को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में दो साल की अवधि के लिए कोई काम करने से वंचित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे बोलीदाता को प्रतिबंधित करने से पहले, बैंक नोटिस देगा और बोलीदाता द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(ई) सफल बोलीदाता के मामले में अग्रिम राशि निष्पादन बैंक गारंटी की प्राप्ति के तुरंत बाद वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5. संविदा की अवधि

(अ) संविदा केवल नौ महीने (01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026) के लिए वैध रहेगा। बैंक बोलीदाता के साथ संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 30 दिन पहले नोटिस देकर वार्षिक संविदा को रद्द/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक 30 दिनों की अवधि का नोटिस जारी करते समय कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

(आ) वार्षिक खरीद संविदा के संबंध में, संविदा की अंतिम तिथि तक संविदा के प्रति आपूर्ति आदेश दिए जाएंगे। समापन तिथि पर भी प्राप्त आदेशों को संविदा की शर्तों के अनुसार सम्मानित किया जाना चाहिए, भले ही संविदा की अंतिम तिथि दवाओं की आपूर्ति की तारीख को समाप्त हो गई हो।

(इ) आपूर्तिकर्ता को बैंक को 30 दिनों का नोटिस दिए बिना औषधियों/दवाओं की आपूर्ति बंद नहीं करनी चाहिए।

(ई) बैंक वार्षिक संविदा को तुरंत समाप्त करने और आपूर्तिकर्ताओं की सेवाएं असंतोषजनक पाए जाने पर आपूर्तिकर्ताओं को दवाओं की आपूर्ति से हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, ऐसे आपूर्तिकर्ता को सूची से समाप्त करने/हटाने से पहले, बैंक नोटिस देगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

6. पात्रता स्थापित करने वाले दस्तावेज

आवेदन के साथ पूर्व-योग्यता (पीक्यू) मानदंड के एक भाग के रूप में एमएसटीसी पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए।

- अ) बोलीदाता के लेटर हेड पर विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित, निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक I में प्रारूप के अनुसार)।
- आ) बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित, आवेदन पत्र (अनुलग्नक II में प्रारूप के अनुसार)।
- इ) अनुबंध XIV में प्रारूप के अनुसार बोलीदाताओं के बैंकर से शोधन क्षमता के लिए बैंकर का प्रमाण पत्र।
- ई) बोलीदाता को अनुलग्नक IV के अनुसार खाते के रद्द किए गए चेक के साथ अपने बैंकर और बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- उ) अनुबंध VI में ऊपर खंड IV के पैरा (डी) में निर्दिष्ट अनुसार ग्राहकों से योग्यता कार्य में से प्रत्येक के लिए ग्राहक रिपोर्ट।
- ऊ) निम्नलिखित की स्व-सत्यापित प्रतियां:
- कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व के पंजीकरण की प्रति
 - आवेदन की तारीख को केमिस्ट द्वारा धारित वैध लाइसेंस
 - वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
 - केमिस्ट को आवंटित वैध पैन कार्ड की प्रति
- कानपुर के भीतर दुकान/प्रतिष्ठान के दस्तावेजी साक्ष्य।
- ऋ) एमएसएमई प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, यदि एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
- ल) ईएमडी जमा करने का प्रमाण। लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण भाग। दस्तावेजों में अपलोड किया जाए।
- एँ) राज्य औषधि नियंत्रक से दोषसिद्धि प्रमाण-पत्र की प्रति कि केमिस्ट/फर्म को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और फर्म/केमिस्ट के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ-साथ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 या समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों के अंतर्गत कोई मामला लंबित नहीं है। इसके बदले में विधिवत नोटरीकृत शपथ-पत्र स्वीकार्य है।
- ऐ) पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों (2023-24, 2022-23 और 2021-22) के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्रतियां, और संबंधित मूल्यांकन वर्षों के लिए आईटी रिटर्न और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम तुलन पत्र की प्रति के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से वित्तीय वर्षों (2024-25, 2023-24 और 2022-23) के लिए वार्षिक कारोबार प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जा सकता है।
- ए) उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा, बैंक किसी भी समय, यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. वार्षिक कार्य संविदा प्रदान करना

बोलीदाताओं को उनके द्वारा दी गई एक समान छूट एमआरपी पर प्रतिशत में प्रस्तुत करनी होती है। उदाहरण: यदि बोलीदाता 25% छूट देना चाहता है, तो उन्हें आवश्यक कॉलम में केवल 25 का उल्लेख करना होगा।

- एक से अधिक H1 बोलीदाता होने की स्थिति में, संपूर्ण कार्य (क्रेडिट स्लिप ऑर्डरों की संख्या) H1 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।
- अन्यथा, पूरा काम (क्रेडिट स्लिप ऑर्डर की संख्या) H1 और H2 के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, बशर्ते कि H2 बोलीदाता H1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। यह H1 बोलीदाता की कार्य क्षमता के लिए किसी भी पूर्वाग्रह के बिना है और इसका उद्देश्य केवल एक आपूर्तिकर्ता पर पूरी तरह से निर्भरता को कम करना है।

(iii) यदि H2 बोलीदाता H1 दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं है, तो उस क्रम में H3, H4, आदि बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित अनुपात में काम (क्रेडिट स्लिप ऑर्डर की संख्या) देने के लिए H1 दर से मेल खाने का अवसर दिया जाएगा।

(iv) यदि H2, H3, H4 आदि H1 की प्रस्तावित दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं हैं, तो संपूर्ण कार्य (क्रेडिट स्लिप ऑर्डर की संख्या) H1 बोलीदाता को दिया जाएगा।

(v) आपूर्तिकर्ता बैंक की बीएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मांगपत्रों के आधार पर निर्धारित समय में तथा निर्दिष्ट स्थान पर सहमत छूट पर दवाइयों की आपूर्ति करेगा।

(vi) बैंक अपनी खरीद को दो या अधिक विक्रेताओं/बोलीदाताओं के बीच बाँटने/विभाजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(vii) बैंक बिना कोई कारण बताए प्राप्त होने वाले किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(viii) सफल बोलीदाता अनुबंध VIII में प्रारूप के अनुसार बैंक के साथ वार्षिक संविदा समझौता करेंगे। संविदा 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए वैध होगा, और विक्रेता/बोलीदाता द्वारा उद्धृत एकसमान छूट इस अवधि के लिए स्थिर और वैध रहेगी।

(ix) सभी विक्रेता कृपया नोट करें कि निविदा दस्तावेज में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ऊपर दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

8. किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार

(अ) निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त या किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(आ) बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(इ) बैंक को बैंक के हित में अपने विवेक से इस दस्तावेज में किसी भी आवश्यकता को संशोधित/बदलने का अधिकार है, जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए।

(ई) बैंक किसी भी समय बिना कोई कारण बताए संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा।

9. स्वीकृति की अधिसूचना:

बैंक एक पत्र/ई-मेल द्वारा आवेदन की स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा।

10. मदों की आपूर्ति:

(अ) प्रत्येक दवा की अपनी शेल्फ-लाइफ अवधि होती है जिसका उल्लेख दवा के लेबल पर किया जाता है। आपूर्ति की गई दवाओं की शेल्फ लाइफ आपूर्ति के समय इसकी शेल्फ लाइफ के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(आ) विशिष्ट ब्रांड की दवाओं के लिए मांग पत्र के मामले में, ब्रांड को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। अन्य मामलों में, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की अनुसूची एम के विनिर्देशों की पुष्टि करने वाली दवाइयों की आपूर्ति की जाएगी।

(इ) आपूर्तियां विनिर्माता की मूल पैकिंग में की जानी अपेक्षित हैं। पैकिंग लगभग किसी विशेष दवा/औषध की कुल इंडेंट मात्रा के निकटतम होनी चाहिए।

(ई) बोलीदाता को 30 दिन का नोटिस दिए बिना दवाओं/औषधियों की आपूर्ति बंद नहीं करनी चाहिए।

आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति इंडेंट के माध्यम से करने के मामले

(उ) बैंक से आपूर्ति के लिए मांग पत्र प्राप्त होने पर, आपूर्ति की पूर्ण डिलीवरी बैंक के औषधालय के परिसर में, जिससे इंडेंट संबंधित है, औषधालय के कार्य घंटों के दौरान जितनी जल्दी हो सके की जाएगी, लेकिन तीन कार्य दिवसों के बाद नहीं।

(ऊ) बैंक के पास एक्सपायरी दवाओं के लगभग समाप्त होने के करीब होने वाली दवाओं, यानी तीन महीने की शेल्फ लाइफ शेष रहने वाली दवाओं को विक्रेता को वापस करने का विवेकाधिकार होगा।

(ऋ) आपूर्तिकर्ता संबंधित औषधालयों को दवाओं/औषधियों की आपूर्ति करते समय बैच संख्या, विनिर्माता का नाम, इंडेंट में समाप्ति की तारीख दर्शाएगा।

यदि क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति होती है

(लृ) क्रेडिट स्लिप प्राप्त होने पर प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए दवाओं की आपूर्ति अलग-अलग सीलबंद पैकेटों में कार्यालय/ कर्मचारियों के घर / सेवानिवृत्त व्यक्तियों को की जाएगी।

1. बिंदु 1 'कार्य के दायरे' में उल्लिखित विवरण के अनुसार वितरण किया जाना चाहिए।

(एँ) आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता (बैंक के सेवानिवृत्त / सेवारत कर्मचारी / पात्र आश्रित) से प्रत्येक क्रेडिट पर्ची के लिए डिलीवरी का प्रमाण लेना होगा, जिसमें साइन, डिलीवरी की तारीख और समय का उल्लेख किया गया हो। ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली के मामले में हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यदि आपूर्तिकर्ता ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी की सेवा प्रदान करने के लिए सहमत है, तो सभी डिलीवरी ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से ही की जानी चाहिए। ओटीपी आधारित वितरण सुविधा वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। बैंक आवश्यकता पड़ने पर सुपुर्दगी का प्रमाण मांग सकता है और आपूर्तिकर्ता को सात कार्य दिवसों के भीतर बैंक को यह प्रस्तुत करना होगा।

11 बिलों की प्रस्तुति:

(अ) आपूर्तिकर्ता नीचे उल्लिखित आपूर्ति के लिए आरबीआई कानपुर कार्यालय को एक समेकित रिपोर्ट, बिल और क्रेडिट पर्ची प्रस्तुत करेगा।

क्र.सं.	जारी की गई क्रेडिट पर्ची के लिए आपूर्ति की गई दवाएं	समेकित रिपोर्ट और बिल जमा करने की तारीख
1	महीने के 01 वें दिन से महीने के 15 वें दिन तक	महीने के 20 वें दिन तक नवीनतम
2	महीने के 16वें दिन से महीने के अंतिम दिन तक	अगले महीने के 05 वें दिन तक नवीनतम

1. बिल के साथ, नीचे उल्लिखित प्रारूप (अस्थायी) में एक समेकित रिपोर्ट बैंक को (एक्सेल प्रारूप में) प्रदान की जानी चाहिए। **अस्थायी प्रारूप इस प्रकार है:**

क्र.सं.	बिल नं.	रोगी का नाम	एमआरपी	देय राशि (एमआरपी - डिस्काउंट)	कर योग्य मूल्य (जीएसटी से पहले और छूट के बाद)

यह प्रारूप अस्थायी है और भविष्य में बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। आपूर्तिकर्ता अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार अपने प्रारूप में एक्सेल फाइल में डेटा प्रदान कर सकता है, हालांकि, तालिका में उल्लिखित उपरोक्त फील्ड अनिवार्य हैं।

(आ) प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए बिल निर्दिष्ट नाम प्रारूप 'आरबीआई - रोगी का नाम - क्रेडिट पर्ची संख्या' में उत्पन्न किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए रोगी ABC को क्रेडिट स्लिप नंबर 312 जारी किया जाता है, फिर बिल 'RBI-ABC-312' प्रारूप में उत्पन्न किया जा सकता है।

(इ) बिल में आपूर्ति का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए जैसे कि मद का नाम, मात्रा, दर, छूट राशि, निर्माता का नाम, बैच नंबर, निर्माण की तारीख और समाप्ति तिथि, इंडेंट / क्रेडिट स्लिप नंबर, तारीख आदि के साथ और बैंक द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी।

(ई) प्रत्येक बिल के साथ इंडेंट/क्रेडिट स्लिप लगाया जाएगा।

- (उ) स्रोत पर लागू करें की कटौती करने और इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने के बाद बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (ऊ) अपूर्ण बिल जो ऊपर (b) और (c) में उल्लिखित किसी भी विवरण के साथ नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ऋ) बोलीदाता निर्धारित प्रारूप में क्रेडिट स्लिप की एक सॉफ्ट कॉपी भी रखेगा, जिसे बिलों की प्रस्तुति से पहले बैंक को प्रस्तुत किया जाना है।

12. भुगतान:

- (अ) महीने के दौरान प्रस्तुत बिलों का भुगतान आम तौर पर अगले महीने की 20 तारीख तक किया जाएगा। हालांकि, आपूर्तिकर्ता किसी भी कारण से भुगतान में देरी होने पर ब्याज या क्षति के संबंध में बैंक से कोई दावा नहीं करेगा।
- (आ) भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को बैंक / शाखा का पता, खाता संख्या, खाता शीर्षक आदि का अपेक्षित विवरण देना चाहिए।
- (इ) भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू करें की कटौती स्रोत पर की जाएगी और इसके लिए सेवा प्रदाता को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (ई) आपूर्ति की पूर्ण डिलीवरी जल्द से जल्द या जैसा कि इंडेंट और क्रेडिट स्लिप के लिए ऊपर उल्लिखित समयरेखा है, में किया जाएगा। समय पर दवाओं की आपूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक क्रेडिट पर्वी के संबंध में देरी के प्रत्येक दिन या उसके हिस्से के लिए आपूर्तिकर्ता के प्रत्येक बिल से 100/- रुपये की कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. भ्रष्ट, कपटपूर्ण या अनैतिक आचरण

बैंक को यह अपेक्षा है कि आपूर्तिकर्ता दवाओं की आपूर्ति के लिए संविदा पाने और निष्पादन करने के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करे। आपूर्ति की जाने वाली औषधियां/दवाएं मानक गुणवत्ता की होंगी। इसके अनुसरण में, शर्तें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:

- अ. क. आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में बैंक के किसी भी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या मांग नहीं करेगा।
- आ. आपूर्तिकर्ता संविदा की प्रक्रिया या निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत बयानी का सहारा नहीं लेगा जो बैंक के लिए नुकसानदायक होगा।
- इ. बैंक किसी आपूर्तिकर्ता को संविदा प्रदान करने के लिए अनिश्चित काल के लिए या निर्दिष्ट समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा, यदि किसी भी समय यह निर्धारित होता है कि आपूर्तिकर्ता संविदा के निष्पादन में भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में लिप्त है।
- ई. बैंक संविदा के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार पर, निम्नलिखित कारणों में से किसी के लिए किसी भी आपूर्तिकर्ता के संबंध में संविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है:
 १. यदि केमिस्ट संविदा में निर्दिष्ट अवधि (अवधियों) के भीतर कोई या सभी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है
 २. घटिया/नकली/वैकल्पिक दवाओं की आपूर्ति,
 ३. आपूर्ति में देरी/आपूर्ति से इनकार/दवाओं की आपूर्ति न होना,
 ४. बिल में अधिक शुल्क लेना,
 ५. यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष दवा की तारीख समाप्त हो गई है या समाप्ति की तारीख के करीब है.
 ६. यदि आपूर्तिकर्ता संविदा के तहत किसी अन्य दायित्व (ओं) को पूरा करने में विफल रहता है
 ७. बैंक के निर्णय के अनुसार भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों में लिप्त है

८. यदि आपूर्तिकर्ता का, एक व्यक्ति होने के नाते, निधन हो जाता है, तो नियोक्ता के पास विक्रेता को इस तरह की समाप्ति और मुआवजे के लिए किसी भी दायित्व के बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।
- उ. यदि उपर्युक्त (घ) में दर्शाया गया ऐसा कोई मामला भुगतान के बाद या उससे पहले बाद की जांच के दौरान पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा पहले से भुगतान की गई विवादित/अधिक राशि वापस करेगा, प्रश्नाधीन दवाओं को बदल देगा। बैंक देय भुगतानों को रोक सकता है या आपूर्तिकर्ता को देय राशियों से ऐसी आपूर्ति की लागत की वसूली कर सकता है।
- ऊ. बैंक किसी भी दवा की दवा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय आपूर्तिकर्ता से इंडेंट या क्रेडिट पर्ची के माध्यम से बैंक द्वारा खरीदी जा रही है। बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर दवा परीक्षण, संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मौजूदा निर्देशों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सरकारी प्रयोगशाला/सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए।

14. सर्वोत्तम कीमतों की प्रयोज्यता

यदि आपूर्तिकर्ता जिसके साथ बैंक ने वार्षिक खरीद संविदा किया है, दर संविदा के जारी रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति या संगठन को बैंक की संविदा के समान बिक्री की शर्तों का पालन करते हुए उच्च छूट प्रदान करता है या बेचता है या बेचने की पेशकश करता है, तो बैंक पर लागू छूट दर संविदा के तहत बाद की सभी आपूर्ति के लिए उस तारीख से स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी और तदनुसार संविदा में संशोधन हो जाएगा। अन्य समानान्तर ठेका धारकों, यदि कोई हों, को घटे हुए मूल्य के बारे में सूचित करके और उन्हें संशोधित मूल्यों की सूचना देने के लिए 15 (पन्द्रह) दिन का समय देकर विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर सार्वजनिक रूप से खोले जाने वाले सीलबंद लिफाफे में सूचित करने और मानक प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का अवसर दिया जाएगा। आपूर्तिकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार समाप्त हो चुकी दवाओं को भी बदल देगा और बैंक और आपूर्तिकर्ता के बीच किए जाने वाले समझौते के नियमों और शर्तों का भी पालन करेगा।

15. क्षतिपूर्ति

(अ) आपूर्तिकर्ता इस संविदा के कार्य के निष्पादन में या इसके संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध किसी भी कार्य के संबंध में बैंक के विरुद्ध लाए गए या की गई सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, दावों और मांगों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और इस उद्देश्य के लिए इस दस्तावेज या संविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण और इस संविदा के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ता के खिलाफ लाए गए किसी भी कार्रवाई या मुकदमे के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा।

(आ) आपूर्तिकर्ता भारत में प्रचलित रोजगार सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और बैंक को दुर्घटनाओं या जीवन की हानि से उत्पन्न होने वाली सभी मांगों या जिम्मेदारियों से मुक्त करेगा, जिसका कारण आपूर्तिकर्ता की लापरवाही है। आपूर्तिकर्ता ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षतिपूर्तियों का भुगतान बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के करेगा और बैंक को जिम्मेदार या बाध्य नहीं ठहराएगा।

(इ) यदि इस प्रकार तैनात आपूर्तिकर्ता का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकृति के विवाद में पड़ता है, तो उसे निपटाने/लड़ने की प्राथमिक जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। यदि बैंक को पक्षकार बनाया जाता है और माना जाता है कि वह मुकदमा लड़ता है, तो बैंक को काउंसेल फीस और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की क्षतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा बैंक को मांग पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बैंक पर किसी भी प्रकृति का कोई वित्तीय या कोई अन्य दायित्व नहीं आता है और इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

16. निषिद्ध/अयोग्य घोषित करना

यदि आपूर्तिकर्ता करार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने या तीन साल की अवधि के लिए बैंक को दवाओं की आपूर्ति करने से वंचित / अयोग्य / सूची से हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले बैंक आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है और इस तरह के नोटिस के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

17 मध्यस्थता

यह संविदा आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित है। दोनों पक्ष अच्छे विश्वास में सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए सहमत हैं। यदि संविदा अवधि या संविदा के पूरा होने के दौरान और संविदा की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में, बैंक और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद (वह निर्णय जिसके लिए यहां अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है) उत्पन्न होगा, चाहे संविदा अवधि या समापन के दौरान और चाहे संविदा की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन के पहले या बाद में, बैंक की एकमात्र मध्यस्थता द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो अपने निर्णय का लिखित निर्णय आपूर्तिकर्ता को देगा। बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18 कानूनी मुकदमे

करार/संविदा से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी वाद, कार्य या कार्यवाही केवल कानपुर स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

19. गैर-प्रकटीकरण खंड

आपूर्तिकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सूचना सामग्री और बैंकों, बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरण, आदि के विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान आपूर्तिकर्ता के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है। आपूर्तिकर्ता संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय उस सीमा तक जहां तक लागू कानूनों के अनुपालन हेतु दायित्वों को पूरा करना आवश्यक हो। आपूर्तिकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र में कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट करने नहीं देगा। आपूर्तिकर्ता या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए आपूर्तिकर्ता बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को आपूर्तिकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों को अपनाने का हकदार होगा। आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों/एजेंटों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से निभाया गया हो।

20. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013

(अ) आपूर्तिकर्ता "कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत उक्त अधिनियम के तहत गठित उपयुक्त समिति को भेजी जाएगी। आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों या एजेंट या आपूर्ति पुरुषों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। आपूर्तिकर्ता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

(आ) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ आपूर्तिकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

- (इ) आपूर्तिकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में कर्मचारी या एजेंट या आपूर्तिकर्ता के आपूर्ति पुरुष शामिल हैं, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
- (ई) आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों या एजेंटों को शिक्षित करने या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में आपूर्ति करने वालों के लिए जिम्मेदार होगा।
- (उ) आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों या एजेंटों या आपूर्ति पुरुषों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर के भीतर अनुबंध के प्रयोजनों के लिए तैनात हैं।

21. श्रम कानूनों का वैधानिक अनुपालन: बोलीदाता को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बाल श्रम अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम और/या किसी अन्य नियम/विनियम और/या कानून के आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा जो उन पर लागू हो सकते हैं। बोलीदाता उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आगे आरबीआई, कानपुर को चूक, गलती, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों से क्षतिपूर्ति रखेगा जो पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होते हैं। बोलीदाता द्वारा इसके अंतर्गत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी उपनियम या नियम के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, आरबीआई, कानपुर ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय को कवर करने का हकदार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग, हानि या चोट के कारण उठाना पड़ सकता है या बोलीदाता के मासिक भुगतान से वहन करना पड़ सकता है।

प्राधिकृत केमिस्ट बैंक से प्राप्त किसी भी आदेश/खरीद आदेश की उप-संविदा का सहारा नहीं लेंगे।

22. बोलीदाता का दिवालियापन या निधन

बोलीदाता के दिवालिया घोषित होने या स्वेच्छा से परिसमापन में जाने या उसके विरुद्ध दिवाला अधिनियम के तहत आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होने या किसी कंपनी के नाम पर या किसी प्रस्ताव के पारित होने या स्वैच्छिक रूप से या अन्यथा समापन के लिए कोई आदेश दिए जाने या विक्रेता द्वारा यहां निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा। विक्रेता के उत्तराधिकारी/प्रतिनिधियों को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रेता के निधन के मामले में या संविदा के तहत उसके कर्तव्यों या कार्यों का पालन जारी रखने का अधिकार नहीं होगा। यदि विक्रेता, पूर्वोक्त सहमति से, अपना व्यवसाय हस्तांतरित करता है, तथा यदि विक्रेता कोई कंपनी है और इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने व्यवसाय को किसी व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बंद कर दिया जाता है, तो विक्रेता इस संपत्ति और व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए संविदा की शर्तों और अनुबंधों में से एक यह बनाएगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी, इस संविदा के तहत विक्रेता के कर्तव्यों या दायित्वों का पालन करना जारी रखेगी और उसके अधीन अपनी देनदारियों के अधीन रहेगी। मृत्यु का प्रमाण और इस आशय के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज बैंक को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संविदा के अंतर्गत किसी भी अधिकार अथवा उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि विक्रेता की मृत्यु हो जाती है तो एकल स्वामित्व संबंधी संस्था के मामले में, बैंक के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा, जो संविदा के उल्लंघन की राशि नहीं है।

सफल बोलीदाता/ओं को संविदा मूल्य के लिए एक वर्ष के लिए "सम्पूर्ण जोखिम नीति" लेनी होगी, जिसे बैंक द्वारा संविदा का नवीकरण किए जाने पर उसके बाद नवीनीकृत किया जा सकेगा; ऐसा न करने पर, सफल बोलीदाता या उसके कर्मचारियों, एजेंटों, समनुदेशिनी आदि के कारण किसी कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी/लाभार्थी या किसी आकस्मिक तृतीय पक्ष के जीवन, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और/या व्यवसाय के दौरान बैंक या उसके कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/लाभार्थियों की संपत्ति को होने वाली किसी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का समस्त दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। ऐसी पॉलिसी प्राप्त करने में विफलता पर, बैंक सफल बोलीदाता से नुकसान के मौद्रिक समकक्ष की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है (बोलीदाता के बकाया बिलों से कटौती योग्य लेकिन सीमित नहीं)।

इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई है (जिसमें बिना किसी सीमा के वैधानिक प्राधिकरण, ईश्वरीय कृत्य, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक विद्रोह, हड़ताल, किसी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण हुई देरी शामिल है) बशर्ते कि इस प्रकार की देरी करने वाले पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई कोई भी देरी उस पक्ष को देरी के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी, सिवाय इसके कि ऐसी देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से परे हो।

(आ) यद्यपि यह दस्तावेज सद्भावनापूर्वक तैयार किया गया है, फिर भी न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार इसमें दिए गए किसी कथन या चूक, या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करते हैं, और इस दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, विधान, नियम या विनियमन के तहत कोई देयता नहीं लेंगे, भले ही उनकी ओर से किसी कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या क्षति हुई हो।

27. इस संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी खर्च पूरी तरह से विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

24

खंड – VI

बोली पूर्व बैठक

बोली पूर्व बैठक के विवरण नीचे उल्लिखित हैं: -

1	सूचना की तारीख	30 मई 2025 को 05:00 अपराह्न
2	बोली पूर्व बैठक की तारीख	04 जून 2025
3	बोली पूर्व बैठक का समय	अपराह्न 03:00 बजे
4	बैठक का तरीका	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में ऑफलाइन
5	बोली पूर्व बैठक का स्थान	सीईएस, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208001
6	पूरा पता	भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर, पिन 208001

अनुलग्नक I
निविदा का प्रपत्र

स्थान:
दिनांक:

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
चिकित्सा अनुभाग
कानपुर

महोदय,
निविदा आमंत्रण सूचना, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों, निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेशों और ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य के लिए निविदा दस्तावेज में अन्य सभी सामग्री को पढ़ने और जांचने के बाद और निविदा को लागू करने के रूप में संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट लाभार्थियों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर भाग II में निहित मूल्य बोली में उल्लिखित छूट पर और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, दवाइयों की आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

NIT No / e-Tender no.	RBI/Kanpur Regional Office/Others/2/25-26/ET/156 (Supply of drugs and medicines)
कार्य का नाम:	बैंक के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों ("लाभार्थियों" के रूप में संदर्भित) को दवाओं की होम डिलीवरी
कार्य की अनुमानित लागत	₹4,00,00,000/- (केवल चार करोड़ रुपये)
बयाना जमा राशि(ईएमडी)	₹8,00,000/- (केवल आठ लाख रुपये)
निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	₹8,00,000/- (केवल आठ लाख रुपये)

2. हम वैधता अवधि (01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026) के लिए निविदा को खुला रखने के लिए सहमत हैं और वैधता अवधि या किसी अन्य विस्तारित अवधि के दौरान इसके नियमों और शर्तों में कोई संशोधन नहीं करने के लिए सहमत हैं, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हुई है।

3. निविदा दस्तावेज के खंड IV के पैरा 4 में बयाना राशि के रूप में उल्लिखित 8,00,000/- रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) की राशि एतद्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रपत्र में अग्रेषित/अपलोड की जाती है। यदि मैं/हम खंड V के पैरा 3 में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, उक्त बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम सात (07) दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, उक्त प्रदर्शन बैंक गारंटी को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उक्त निष्पादन बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सभी कार्यों को उसमें निहित नियमों और शर्तों पर निष्पादित करने की गारंटी होगी।

4. इसके अतिरिक्त, मैं/हम सहमत हैं कि उपर्युक्त बयाना राशि या निष्पादन बैंक गारंटी जब्त होने की स्थिति में, मुझे/हमें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

5. मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैंक-टू-बैंक आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान

में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक में निविदा देने से रोक दिया जाएगा। साथ ही, यदि ऐसा कोई उल्लंघन कार्य शुरू होने की तिथि से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आता है, तो नियोक्ता बयाना जमा राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी की पूरी राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज तथा कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज मानेंगे तथा उनसे प्राप्त सूचना को उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेंगे, जिसे मैं/हम संप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत हूँ/हैं, अथवा सूचना का किसी भी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक की सुरक्षा के लिए हानिकारक उपयोग नहीं करेंगे।

7. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इसके साथ संलग्न अनुबंध की शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या इसके उल्लंघन की स्थिति में उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि जब्त कर भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

8. हमारे बैंकर हैं (नाम और पूरा पता) –

हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का नाम:

भवदीय,

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
गवाहों के हस्ताक्षर और पते –

	पता	Address
(i)		
(ii)		

**भारतीय रिजर्व बैंक
कानपुर**

**सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए कार्यालय, कॉलोनियों और आवास पर
क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की सीधी आपूर्ति के लिए आवेदन पत्र**

क्रमांक	वस्तु	विवरण
1	आपूर्तिकर्ता का नाम	
2	संरचना (कंपनी/ साझेदारी/ स्वामित्व)	
3	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकारी; पंजीकरण संख्या और दिनांक)	
4	व्यवसाय प्रारंभ करने का वर्ष	
5	जीएसटी नं.	
6	पैन नं.	
7	क्या निर्माता/ अधिकृत वितरक/ डीलर/ एजेंसी है	
8	बैंक के साथ प्रतिबद्धता करने के लिए अधिकृत स्वामी/भागीदार/निदेशक/पदनाम सहित अधिकारी का नाम	
9	टेलीफोन नंबर: मोबाइल नहीं है: ई-मेल	
10	पता	
11	क्या आपूर्तिकर्ता के पास आवेदन की तिथि पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी एलोपैथिक औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वैध लाइसेंस है। कृपया लाइसेंस का विवरण दें।	
12	क्या आपूर्तिकर्ता को राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा दोषी ठहराया गया है	
13	क्या आपूर्तिकर्ता के पास जीएसटी क्लियरेंस प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	
14	क्या बिलिंग प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है?	
15	सर्वोत्तम मूल्य मानदंड पर सहमति (पैरा 14 देखें) (हां/नहीं)	
16	दवाइयों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/कॉर्पोरेट ग्राहकों के नाम। संपर्क व्यक्ति का नाम और टेलीफोन नंबर भी दें।	
17	मुख्य बैंकर का नाम और पता कृपया टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध कराएं।	

18	वित्तीय वर्ष का वार्षिक कारोबार:	2021 - 22	
		2022 -23	
		2023 -24	
19	क्या आपूर्तिकर्ता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम टर्नओवर 2,00,00,000/- रुपये है? (पिछले तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट की प्रतियां, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित/आईटीआर/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र)		
20	क्या ग्राहक रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है (हां/नहीं) अनुलग्नक III		
21	क्या बैंकर्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है (हां) / नहीं) अनुलग्नक IV		
22	क्या सार्वजनिक संस्थान(ओं) द्वारा निषेध करने की घोषणा प्रस्तुत की गई है (हां/नहीं) अनुलग्नक V		
23	क्या आपूर्तिकर्ता ओटीपी/डिलीवरी कोड आधारित डिलीवरी प्रदान कर सकता है (हां/नहीं)		
24	आपूर्तिकर्ता की दुकानों/आउटलेटों की संख्या (सभी आउटलेटों /दुकानों का पता अलग से दिया जाए)		

मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नोटिस को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें औषधियों और दवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड और नियम और शर्तें शामिल हैं। मैं नियम और शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम:

तारीख:

मुहर:

कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक (क्लाइंट) के प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अलग से भरा और मुद्रित किया जाए)

ग्राहक का नाम एवं पता:

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण।
(आपूर्तिकर्ता का नाम)

1. कार्य का नाम एवं संक्षिप्त विवरण:
2. करार संख्या और दिनांक:
3. करार राशि (अनुमानित राशि भी स्वीकार्य है):
4. गैर-निष्पादन या शर्तों का पालन न करने पर लगाए गए जुर्माने का विवरण (राशि बताएं) यदि कोई हो:
5. उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी जिसके तहत आपूर्ति निष्पादित की गई:
6. आपूर्तिकर्ता की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ:
 - अ) तकनीकी दक्षता
 - आ) वित्तीय सुदृढ़ता
 - ग) समयसीमा का पालन
 - ई) कार्य की गुणवत्ता
 - उ) सामान्य व्यवहार

अधोहस्ताक्षरी इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम है।

“प्रतिहस्ताक्षरित”

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर के साथ
नाम और पदनाम
संपर्क संख्या

बैंकर का विवरण/बैंक खाता विवरण

बैंकर का विवरण

1.	बैंक का नाम	:
2.	बैंक का पता	:
3.	शाखा का नाम	:
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम	:
5.	मोबाइल नंबर (अनिवार्य) एवं फैक्स नंबर	:
6.	संपर्क व्यक्ति का आधिकारिक ईमेल आईडी (जेनरिक ईमेल आईडी स्वीकार नहीं की जाएगी)	:

बैंक खाते का विवरण

1.	खाता नाम	:
2.	खाता संख्या	:
3.	खाते का प्रकार (बचत, चालू खाता आदि)	:
4.	पैन नंबर	:
5.	आई०एफ०एस० कोड	:
6.	जीएसटी नंबर	:

नोट: खाते की रद्द चेक की एक प्रति संलग्न करें

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी फॉर्म (अपेक्षित वार्षिक खरीद के 10% के लिए)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

जबकि (सफल आपूर्तिकर्ता का नाम) जिसे आगे "सफल आपूर्तिकर्ता" कहा जाएगा, ने वार्षिक संविदा संख्या _____ दिनांक 2025 से _____ (सेवाओं का विवरण) जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा, को _____ द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना संख्या _____ के दस्तावेजों के अनुसरण में अनुपालन किया है।

और चूंकि निविदा दस्तावेज की शर्तों में से एक यह है कि सफल आपूर्तिकर्ता को संविदा प्रारम्भ करने के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

और चूंकि उक्त संविदा में आपके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सफल आपूर्तिकर्ता द्वारा आपको संविदा के अनुसार सफल आपूर्तिकर्ता के निष्पादन दायित्वों के अनुपालन हेतु सुरक्षा के रूप में निर्दिष्ट राशि के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी प्रदान की जाएगी।

और चूंकि हम सफल आपूर्तिकर्ता के लिए गारंटी देने के लिए सहमत हो गए हैं।

इसलिए, हम पुष्टि करते हैं कि हम गारंटर हैं और अपेक्षित वार्षिक खरीद की 10% की कुल राशि तक के लिए आपके प्रति उत्तरदायी हैं और हम आपके द्वारा प्रथम लिखित मांग पर, जिसमें सफल आपूर्तिकर्ता को संविदा के अंतर्गत चूककर्ता घोषित किया गया है, तथा बिना किसी आपत्ति, एतराज या तर्क के, पूर्वोक्त राशि के अंतर्गत कोई भी राशि या राशियां, आपको भुगतान करने का वचन देते हैं, और इसके लिए आपको अपनी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. आपके कार्यालय से एक पत्र जिसमें कहा गया है कि सफल आपूर्तिकर्ता ने संविदा के तहत और उसके अनुसार अपने सभी या किसी भी दायित्व के उचित और निष्ठापूर्वक कार्य प्रदर्शन में चूक की है, वह निर्णायक, अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा। हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि आप इस बात के एकमात्र निर्णायक होंगे कि सफल आपूर्तिकर्ता संविदा के तहत अपने दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक प्रदर्शन में चूक कर रहा है या नहीं और आपका यह निर्णय कि वह चूक कर रहा है, अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा, भले ही आपके और सफल आपूर्तिकर्ता के बीच कोई मतभेद हो या आपके और उसके बीच कोई विवाद मध्यस्थ के पास या किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो।

3. इस गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम प्रमुख ऋणी हैं और हमारे संगठन या सफल आपूर्तिकर्ता के संविधान में कोई भी परिवर्तन किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व या ज़िम्मेदारी को प्रभावित नहीं करेगा।

4. आपको इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, किसी भी समय संविदा के नियमों और शर्तों को बदलने या अनुपालन के लिए समय या अवधि बढ़ाने या किसी भी समय आपके किसी भी अधिकार के प्रयोग को स्थगित करने या संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या क्रियान्वित करने से मना करने की स्वतंत्रता होगी और हम आपके द्वारा ऐसी स्वतंत्रता के किसी भी तरह या आपकी ओर से अन्य सहनशीलता, क्षमा, कार्य या चूक से इस गारंटी के तहत अपने दायित्व या ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे।

5. हम इस गारंटी को इसके प्रभावी रहने तक रद्द नहीं करने का वचन देते हैं।

6. अनुरोध, मांग या अन्यथा के रूप में कोई भी नोटिस हमें ऊपर उल्लिखित शाखा को संबोधित करते हुए डाक द्वारा भेजा जा सकता है, जिसे इस तरह के नोटिस को प्राप्त करने और तुरंत भुगतान करने के लिए विधिवत अधिकृत माना जाएगा, और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक के माध्यम से समान्यतः वितरित किया जाना चाहिए था और इस तरह के नोटिस को साबित करने में, जब डाक द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि नोटिस युक्त लिफाफा पोस्ट किया गया था और आपके किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का इस तरह का पोस्ट किया गया लिफाफा निर्णायक सिद्ध होगा।

7. यह गारंटी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 18 महीने की अवधि तक या संविदा के प्रावधानों के अनुसार आपके द्वारा इसे जारी किए जाने तक लागू रहेगी।

हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद (दिनांक)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्दगी

कृते और की तरफ से

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

वार्षिक संविदा प्रपत्र

यह करार दिन _____ माह _____ वर्ष 20 _____ को निम्नलिखित पक्षों के मध्य किया गया।

(क्रेता का नाम और पता) इसके बाद पक्ष "क्रेता" और

(आपूर्तिकर्ता का नाम और पता)

इसके बाद दूसरे पक्ष को "आपूर्तिकर्ता" कहा जाएगा:

जबकि क्रेता रियायती मूल्य पर कुछ दवाइयां, औषधियां आदि खरीदने का इच्छुक है और उसने उन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता की बोली स्वीकार कर ली है।

अब यह करार साक्ष्य के रूप में निम्नानुसार है:

1. इस करार में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें संविदा की शर्तों में क्रमशः दिया गया है।
2. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस करार के भाग के रूप में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा, अर्थात:
 - 2.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकित निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।
 - 2.2 निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तें _____
 - 2.3 क्रेता द्वारा संविदा दिए जाने की अधिसूचना
3. क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतानों के एवज में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, आपूर्तिकर्ता क्रेता के साथ संविदा के प्रावधानों के अनुरूप सभी प्रकार से माल और सेवाएं प्रदान करने तथा उनमें दोषों का निवारण करने का वचन देता है।
4. क्रेता इसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को माल और सेवाओं के लिए प्रावधान और उनमें दोषों के निवारण के लिए संविदा मूल्य या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करने का वचन देता है, जो संविदा के प्रावधानों के तहत संविदा में निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति/प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का विवरण निविदा दस्तावेज की शर्तों में सूचीबद्ध है।

कृते तथा की ओर से

कृते और की ओर से

भारतीय रिज़र्व बैंक
(क्रेता)

(आपूर्तिकर्ता)

औषधालयों की सूची

Sr. No.	Name & Address of Dispensary	Timings
1	Bank Dispensary, Post Box No. 82/142, Mahatma Gandhi Road, Kanpur- 208 001	Mon to Fri: 12 PM to 05 PM (except Wed)
2	Bank Dispensary, Post Box No. 82/142, Mahatma Gandhi Road, Kanpur- 208 001	Wednesday: 01 PM to 05 PM
3	Kidwai Nagar Staff Quarters Dispensary, Kanpur- 208011	Mon to Sat: 07 AM to 11 AM

Note: Dispensary location and timings may be modified by the Bank at its own discretion, whenever necessary

(केवल सफल बोलीदाता से ₹200.00 के स्टाम्प पेपर पर लिया जाएगा।)

गैर-प्रकटीकरण करार का प्रारूप

गैर प्रकटीकरण करार

बोलीदाता बैंक की कोई भी जानकारी, डेटा और/या कोई भी विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान बोलीदाता की जानकारी या संज्ञान में आ सकता है, उसे किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और हर समय उसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। बोलीदाता संविदा के विवरण, इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए अपेक्षित सीमा को छोड़कर, इसे निजी और गोपनीय रखेगा। बोलीदाता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई भी जानकारी और विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा और न ही प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति देगा। बोलीदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण उयर उसके परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न करने पर बोलीदाता की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपचार पाने का हकदार होगा।

बोलीदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में वे सभी उचित कार्रवाई करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से लागू हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में बोलीदाता के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या पूर्ण होने के बाद भी बने रहेंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 के संबंध में घोषणा के लिए प्रारूप (सेवा स्तर करार (एसएलए) का हिस्सा होगा)

1. सेवा प्रदाता को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
2. सेवा प्रदाता के किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर, यह शिकायत सेवा प्रदाता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी तथा सेवा प्रदाता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
3. बैंक परिसर में सेवा प्रदाता के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर, “कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013” के अंतर्गत बैंक द्वारा गठित केंद्रीय शिकायत समिति/शिकायत समितियों के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।
4. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा आरबीआई के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान “कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013” के तहत बैंक द्वारा गठित केंद्रीय शिकायत समिति/शिकायत समितियों द्वारा लिया जाएगा।
5. यदि घटना में सेवा प्रदाता के कर्मचारी शामिल हों, तो सेवा प्रदाता किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए आरबीआई कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि शिकायत के तहत आरोप साबित होते हैं।
6. सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
7. सेवा प्रदाता को आरबीआई परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों की पूर्ण और अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

(₹200 के स्टाम्प पेपर पर वाणिज्यिक बोली की घोषणा (वाणिज्यिक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानी है)

वाणिज्यिक बोली की घोषणा

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने आरपीएफ़ के दायरे को देखा है और उसमें बताए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमने संविदा की दरें कार्य के दायरे और पैकेज विवरण के आधार पर लिखी हैं और पॉलिसी व्यय के अंतर्गत सभी लागतों को शामिल किया है। हम स्वीकार करते हैं कि प्रस्तुत भाव दरें (कोट) सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित आंतरिक स्वीकृति पर आधारित है और बोली प्रस्तुत करने और मूल्य बोली खोलने के बाद उद्धरण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भाव दरें पूरी पॉलिसी/संविदा अवधि यानी 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के लिए मान्य होगा।

किसी भी विचलन के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

ऋण-शोधन क्षमता (सॉल्वेंसी) के लिए बैंक का प्रमाण पत्र

1. फर्म की संरचना (साझेदारी / निजी लिमिटेड / स्वामित्व / सार्वजनिक लिमिटेड) उल्लेख करें:
2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम:
3. फर्म का पता:
4. फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
5. वाणिज्यिक कार्य:
6. वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:
7. कोई अन्य टिप्पणी:

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मेसर्स/श्री/ सुश्री _____
जिनका पता हाशिये पर लिखा है, हमारे बैंक के एक सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें रु. _____ (रुपये
_____) की सीमा तक किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता
है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी अथवा किसी भी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

अधिकृत मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम:

कर्मचारी आईडी के साथ पदनाम:

तारीख:

मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी:

बैंक के लिए

टिप्पणी:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र, बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, तथा भर्ती प्राधिकारी को संबोधित लिफाफे में सीलबंद होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम प्रमाण पत्र में शामिल किया जाए।

भाग II: वित्तीय / मूल्य बोली
(केवल निविदा के भाग-II में प्रस्तुत किया जाए)

ई-निविदा

उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए कार्यालय, कॉलोनियों और आवास पर क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की सीधी आपूर्ति के लिए

ई-निविदा संख्या: xxxxxxxxxxxxxxxx

संविदा की अवधि : 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक

वित्तीय/मूल्य बोली

(केवल निविदा के भाग-II में प्रस्तुत किया जाए)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

महोदय,

मैंने/हमने बैंक के एनआईटी और आरएफक्यू दस्तावेज़ दिनांक _____ में उल्लिखित नियमों, शर्तों और अन्य विवरणों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के औषधालयों को नीचे दी गई दर पर दवाइयां आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता हूँ/करते हैं:

i. आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर एक समान छूट दी जाएगी:

दवा आपूर्ति	:	(प्रतिशत में - आंकड़ों में)
-------------	---	------------------------------

	:
	(प्रतिशत में - शब्दों में)

- ii. मैं पैकिंग, कार्टेज और परिवहन व्यय वहन करने का वचन देता हूँ और उपरोक्त आपूर्तियों पर कानून के तहत आवश्यक या अपेक्षित सभी कर, वैट/बिक्री कर/लेवी/ उपकर /चुंगी आदि भी वहन करूँगा। क्रेता (बैंक) केवल मुद्रित खुदरा मूल्य में से ऊपर उद्धृत छूट घटाकर भुगतान करेगा। मैं क्रेता (बैंक) से इस प्रकार का कोई कर नहीं लूँगा।
- iii. मैं आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर उपरोक्त उद्धृत छूट दर को इस संविदा की अवधि तक वैध रखने का भी वचन देता हूँ।
- iv. मैं यह भी वचन देता हूँ कि सभी दवाइयां मांगपत्र/आपूर्ति आदेश के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी तथा कोई भी "वैकल्पिक दवाइयां" उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

हस्ताक्षर:

तारीख:

मुहर:

नाम: